BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 54 OF 2025

Yudhveer Chauhan ...Applicant

Versus

Uttarakhand Forest & Ors. ...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Reply Affidavit on behalf of Respondent No. 9 and 11	1 - 5
2.	**Annexure No. R/1** True copy of the letter of ADM (F/R) Dehradun dated 15.09.2025.	6
3.	**Annexure No. R/2** Copy of the letter dated 01.08.2024 sent by the Sub-Divisional Forest Officer, Sahaspur.	7 - 8
4.	**Annexure No. R/3** Copy of the report dated 06.08.2024 issued by the Revenue Sub-Inspector, Tehsil Vikasnagar.	9 – 10
5.	**Annexure No. R/4** Copy of the Inspection Report dated 18.10.2024.	11 - 14
6.	**Annexure No. R/5** Copy of the letter dated 10.12.2025 sent by. Respondent No. 2.	15 - 27

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 1 & 2

5, Lawyers' Chamber Block – I,
Delhi High Court, New Delhi
Mob: 8375955697
Email Id: adarshchamoli93@gmail.com

PLACE: NEW DELHI
DATE: 12.12.2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 54 of 2025

IN THE MATTER OF:

Yudhveer Singh Chauhan & Anr. ...Applicant

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors. ...Respondents

REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 11, SUB DIVISIONAL MAGISTRATE (SDM), DEHRADUNIN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 14.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

MOSTRESPECTFULLY SHOWETH:

I, Vinod Kumar, aged about 44 years, presently posted as Sub Divisional Magistrate – Vikas Nagar, Government of Uttarakhand, the Deponent herein, do solemnly state and affirm as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case, and I am fully conversant to file the present Reply Affidavit to the above captioned Application on behalf of respondent no 9, 11. A true copy of the letter of ADM (F/R) Dehradun dated 15.09.2025 has been appended herewith as Annexure R/1.

2. That I have read and understood the contents of the present Reply Affidavit. All those averments made in the instant Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied as false or devoid of any merit.

NOTARY V.L.SHUKLA Advocate & Notary Reg.No.27(01)/2003 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

3. That the contents of the present Reply Affidavit have been drafted by my Counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That this Hon'ble Tribunal vide its Order dated 04.02.2025 issued Notice in the present case regarding violation of environmental norms in implementation of a cold storage project initiated by the Respondent No. 12, Mandi Samiti, Vikasnagar, Uttarakhand. Further, all Respondent parties, including the answering Respondent herein, were directed to file their responses/replies. Accordingly, the present submissions are being made by the answering Respondent herein.

5. That, at the outset, it is most humbly submitted that the subject of felling and pruning of trees in non-forest or urban areas are regulated by the provisions of the Uttar Pradesh Protection of Trees Act, 1976 (UPPT Act, 1976), as adapted for the State of Uttarakhand through the Uttaranchal Adaption and Modification Order, 2002. The said Act stipulates that the authority considering applications for permissions to fell trees would be an officer of the State Forest Department. Thus, the answering Respondent has no role in respect of the issue concerning the felling of trees.

6. That, in particular, the role of the answering Respondent herein is limited to the aspect of ascertainment and allotment of land. Specifically, the cold storage facility is sought to be established in a plot of 55 m. x 45 m near the rear gate of the Mandi where there exists a standing growth of 32 mango trees, which in turn are sought to be felled.

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

7. That, in the above context and for the purpose of obtaining permission for the felling of trees, a clarification was sought by the Sub Divisional Forest Officer, Sahaspur from the answering Respondenton 11.07.2024 regarding the nature of the land. For which the Sub Divisional Forest Officer, Sahaspur informed

the answering Respondent on 01.08.2024. A true copy of letter dated 01.08.2024 has been appended herewith as **ANNEXURE R/2.**

8. That, in response to the said Letters dated 29.07.2024 and 11.07.2024, it has been clarified in the report dated 05.08.2024 of the Revenue Sub Inspector, Tehsil Vikasnagar that the status of the land is "***agricultural***". A true copy of the letter dated 06.08.2024 has been appended here with as **ANNEXURER/3**.

9. That, thereafter, a committee was constituted for joint investigation consisting of the Forest Department, Revenue Department, Mandi Parishad Vikasnagar and Horticulture Department. A report was submitted after the joint inspection on 18.10.2024 with the finding that the land of Mandi Parishad Vikasnagar is recorded as "***transferable land***" in the revenue records, which is "***agricultural***" in nature. A true copy of the Inspection Report dated 18.10.2024 has been appended herewith as **ANNEXURE R/4**.

10. That, further, the issues raised in the instant Application primarily fall within the mandate of State agencies such as Uttarakhand Forest Department, Deputy Conservator of Forest (Kalsi, Dehradun), Horticulture Department and Uttarakhand State Pollution Control Board. Therefore, the District Administration has no further role with regard to the aspects of tree felling and environmental permissions.

11. That, further, on 10.12.2025, Office of the answering Respondent received a communication from the Respondent No. 12 submitting that the construction of the cold storage facility is near completion and steps for auctioning of the trees have been taken by the Respondent No.12 in terms of approvals granted by the answering Respondent. A true copy of the Letter dated 10.12.2025 along with its Annexures have been appended here with as **ANNEXURER/5**.

12. That the answering Respondent craves the leave of this Hon'ble Tribunal to file an additional reply, if required, in the future.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) V.L. SHUKLA Advocate & Notary Reg. No. 27/01/2003

13. That it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to pass necessary Orders/directions as deemed fit for the ends of justice and that the Deponent will maintain high regard for the Orders/directions so passed by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

Verification

Verified at Dehradun on this 12 day of December, 2025, that the contents of the above affidavit with its annexures are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Identified by
K Verma
Kunwar Yogendra Verma
(Advocate)
Reg.No.UK-2933/2004
Mob.9412007558

DEPONENT

NOTARY
V.L.SHUKLA
Advocate & Notary
Reg.No.27(01)/2003
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

S.N. 1214/2025
This affidavit is sworn before me by
Shri Vinod Kumar
who is identified by Shri K. Yogendra Verma Ad.
at Dehradun on 12/12/2025

Smt. Vijay Luxmi Shukla
Advocate & Notary, D.Dun

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
O.A. NO. 54 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Yudhveer Singh Chauhan & Anr …. Applicant

Versus

Uttarakhand Forest Department & Ors. …. Respondents

AFFIDAVIT

I, Vinod Kumar, aged about 44 years, presently posted as Sub Divisional Magistrate Vikasnagar, Government of Uttarakhand, do hereby solemnly affirms and declares as under:

1. That I am fully conversant of the facts and circumstances of the matter and am competent to swear this affidavit.
2. That the contents of the accompanying Original Application are true and correct to the best of my knowledge, and have been drafted by the counsel on my instructions and nothing material has been concealed therefrom.
3. That the annexures in the accompanying Original Application are true and correct to the best of my knowledge

DEPONENT

Verification

Verified at Dehradun on this 12 day of December, 2025, that the contents of the above affidavit with its annexures are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

This affidavit is sworn before me by Shri..........
who is identified by Shri..........
at Dehradun on..........

Smt. Vijay Laxmi Shukla
Advocate & Notary, D.Dun

Kunwar Yogendra Verma
(Advocate)
Reg.No.UK-2933/2004
Mob.9412007556

ANNEXURE R/1

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्या 937 /एल0बी0सी0–2025 दिनांक 15 सितम्बर, 2025

उपजिलाधिकारी, विकासनगर,
जनपद–देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड वन विभाग के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड वन विभाग के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण द्वारा निर्गत नोटिस दिनांकित 11.02.2025 की प्रति कार्यालय में दिनांक 02.09.2025 को प्राप्त हुआ है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मण्डी समिति द्वारा विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता श्री युद्धवीर सिंह चौहान द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–54/2025 युद्धवीर सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड वन विभाग योजित किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा तहसील विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थल पर मण्डी समिति द्वारा विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किये जाने हेतु बिना अनुमति 18–32 आम के पेड़ काटे जाने के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये मा0 अधिकरण में उक्त आवेदन योजित किया गया है। प्रकरण पर आपको प्रतिवादी संख्या–11 बनाया गया है।

अतः जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में यह पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रतिवादी संख्या–12 जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून की तरफ से प्रत्युत्तर/ प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

15.09.25

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
DC देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

15.09.25
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
DC देहरादून।

15/09/25

ANNEXURE R/2

कार्यालय–उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर उप वन प्रभाग,कालसी।

पत्रांक– 90/21–5, कालसी, दिनांक, 01/08/2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
विकासनगर।

विषय : कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर में पुनः निरीक्षण कर सत्यता उजागर करने विषयक।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्रांक–50/21–5, दिनांक–15.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर में पुनः निरीक्षण कर सत्यता उजागर करने विषयक का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त कृषि/अकृषि भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है किन्तु आतिथि आपके द्वारा प्रश्नगत भूमि का प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध करना है कि शिकायत की जांच हेतु उक्त भूमि का प्रकार सम्बन्धित सूचना स्पष्ट करने की कृपा करें, ताकि समयान्तर्गत शिकायत का निस्तारण किया जा सके।

भवदीया,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रतिलिपि : प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

159
21-5
3/8/2024

I.C.
DFO
03/08/24

Office of the Sub-Divisional Forest Officer, Sahaspur Sub Forest Division, Kalsi. Letter No.- 10/21-5, Kalsi,

Dated, 01/08/2024

To,

Sub-District Magistrate, Vikasnagar.

Subject: Regarding re-inspection and revealing the truth in the Agricultural Produce Market Committee, Vikasnagar.

Reference: This office's letter no.- 60/21-5, Dated- 15.07.2024

Sir,

In reference to the above-mentioned subject, it is to inform that after the on-site inspection by the sub-divisional forest officer, Sahaspur regarding the re-inspection and clarification of facts in Agriculture Production Market Committee, Vikasnagar, a letter was sent to clarify the status regarding agricultural/non-agricultural land, but the type of land in question has not been clarified by Sub Sub-divisional Magistrate, Vikasnagar.

Therefore, it is requested again that the information related to the type of the said land be clarified for the purpose of investigation of the complaint, so that the complaint can be resolved in a timely manner.

Sincerely,

Sub-Divisional Forest Officer,

Sahaspur Sub Forest Division,

Kalsi.

Copy to: Divisional Forest Officer, Kalsi Forest Division, Kalsi for information and necessary action.

Sub-Divisional Forest Officer

,Sahaspur Sub Forest Division,

Kalsi.

/TRANSLATED COPY/

ANNEXURE R/3

ई-मेल vikashnagar.mandi@gmail.com

कार्यालय

कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर

नवीन मण्डी स्थल, विकासनगर (देहरादून)

पत्रांक: कृ0उ0म0स0वि0/2024 – 846 दिनांक 06/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

[illegible] वन प्रभाग

[illegible] देहरादून।

महोदय,

कृपया उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर उप वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 95/21-6 कालसी, दिनांक 01/08/2024, जो उपजिलाधिकारी, विकासनगर को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है। संदर्भित पत्र मण्डी परिसर विकासनगर की भूमि का प्रकार सम्बन्धी है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व उपनिरीक्षक तहसील विकासनगर की आख्या दिनांक 05.08.2024 के अनुसार कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर की भूमि, कृषि भूमि है।

[illegible] आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार आख्या।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

विकासनगर (देहरादून)

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर उप वन प्रभाग, कालसी को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

विकासनगर (देहरादून)

/TRUE COPY/

Office

Krishi Utpadan Mandi Samiti Vikasnagar

New Mandi Sthal, Vikasnagar (Dehradun)

Ref No. 846/2024 Date: 06/08/2024

To,

Divisional Forest Officer

Kalsi Forest Division

Kalsi, Dehradun.

Subject: Regarding the nature of the land of Vikasnagar Mandi premises.

Sir,

Kindly refer to the office letter no. 95/21-5, Kalsi, dated 01/08/2024, of the Sub Divisional Forest Officer, Sahaspur Sub Forest Division, Kalsi, which is addressed to the Sub-Divisional Magistrate, Vikasnagar, and endorsed to you. The referred letter is concerning the type of land of the Vikasnagar Mandi premises. In this regard, it is to inform that as per the report of the Revenue Sub-Inspector, Tehsil Vikasnagar, dated 05.06.2024, the land of Krishi Utpadan Mandi Samiti Vikasnagar is agricultural land.

Therefore, the said report is enclosed herewith for necessary action.

Yours faithfully,

Secretary

Krishi Utpadan Mandi Samiti

Vikasnagar (Dehradun)

Enclosed: As per the above report.

ANNEXURE R14

संयुक्त निरीक्षण आख्या

मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्र सं0 2560/ वृ.पा./2024-25/दिनांक 19.9.2024 के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 4.10.2024 को मण्डी परिषद विकासनगर देहरादून के परिसर में अवस्थित आम वृक्षों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है।

1. परिसर में कुल 32 आम वृक्ष मौजूद है जिनमें 10 फीट की चाहरदीवारी लगी है। जहां पर निर्माण कार्य हेतु सामग्री इत्यादि एकत्रित की गई है। जिसमें से 06 आम वृक्ष मण्डी परिसर के मार्ग किनारे है, जो मार्ग को अवरुद्ध कर रहे है। तथा 17 आम वृक्ष खाली स्थान पर खड़े है। तथा 09 वृक्ष चाहरदीवारी के अन्दर स्थित है।
2. मण्डी परिसर में लगे आम वृक्षों का रोपण मण्डी परिषद के कथनानुसार वर्ष 1992 में किया गया है। जो लगभग 32 वर्ष पुराने है।
3. मण्डी परिषद विकासगर की भूमि राजस्व अभिलेखों में सक्रंमणीय भूमि दर्ज है। जिसका स्वरूप कृषि है।
4. परिसर में स्थित आम वृक्ष देखभाल के अभाव में जीर्णशीर्ण स्थिति में है। तथा मण्डी परिषद के कथनानुसार अफलत की स्थिति में है। जिससे किसी प्रकार राजस्व प्राप्त नही हो रहा है।
5. मण्डी परिषद द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के राजस्व की बढ़ोत्तरी हेतु उक्त स्थल पर कोल्ड स्टोरेज इत्यदि भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो पछुवादून के कास्तकारों को लाभकारी सिद्ध होगा।
6. उक्त भूमि में निर्माण हेतु चयनित भूमि में अवरुद्ध वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है। जिसे जनहित एवं कास्तकारों के हित को देखते हुए अवरुद्ध वृक्षों का पातन किया जाना आवश्यक है।
7. उक्त भूमि का स्वरूप कृषि होने के कारण उक्त वृक्षों का पातन नियमानुसार उद्यान विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

1.(आनन्द सिंह तोमर) राजस्व उपनिरीक्षक विकासनगर क्षेत्र...........(देहरादून)	2.(सतपाल सिंह) वन दरोगा वनप्रभाग कालसी	3.(इंतजार अहमद) वन विभाग चौहडपुर रेंज	4.(वचनसिंह) प्रभारी उ0स0द0विकासनगर
5. (अशोक जोशी) कृषि उत्पादन मण्डी समिति मण्डी परिषद विकासनगर (देहरादून)	6.(शोभित थलवाल) क0अभि0	7. (राहुल कुमार) क0अभि0	8.(पी0एस0रौथाण) ज्ये.उ.नि

कार्यालय प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र विकासनगर

पत्रांक 100 /वृ.पा./2024-25/दिनांक 10/10/2024

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
देहरादून।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र सं 2560/वृ.पा./2024-25 दिनांक 19.9.2024 के अनुपालन में विषयगत प्रकरण पर संयुक्त जांच कर उपरोक्तानुसार जांच आख्या आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

(वचन सिंह)
प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र
विकासनगर।

Seen

AN 3081
1/10/24

/TRUE COPY/

Joint Inspection Report

Office of the Chief Horticultural Officer, Dehradun. As per office letter no. 2560/D.P./2024-25/dated 19.09.2024, a committee constituted by the Chief Horticultural Officer, Dehradun, carried out a joint on-site inspection of the mango trees located in the premises of the Mandi Parishad Vikasnagar, Dehradun on 4.10.2024. The inspection report is as follows:

1. There are a total of 32 mango trees in the premises, which are surrounded by a 10-foot boundary wall. Construction materials etc. have been collected there. Out of these, 06 mango trees are on the roadside of the Mandi premises, which are obstructing the road. And 17 mango trees are standing in the open space. And 09 trees are located inside the boundary wall.

2. According to the Mandi Parishad, the mango trees in the Mandi premises were planted in the year 1992, which are about 32 years old.

3. The land of Mandi Parishad Vikasnagar is recorded as transferable land in the revenue records, which is agricultural in nature.

4. The mango trees located in the premises are in dilapidated condition due to lack of care and according to the Mandi Parishad, they are fruitless. Due to which no revenue is being received.

5. It has been informed by the Mandi Parishad that a cold storage etc. building is being constructed at the said site to increase the revenue of the state, which will prove beneficial for the farmers of Pachwadoon.

6. It is proposed to fell the obstructing trees in the land selected for construction in the said land. Considering the public interest and the interest of the farmers, it is necessary to fell the obstructing trees.

7. Since the nature of the said land is agricultural, permission should be obtained from the Horticulture Department as per the rules for felling the said trees.

Signatories:

1.(Anand Singh) Revenue Sub-Inspector, Vikas Nagar

2.(Satpal Singh) Forest Ranger, Kalsi Forest Division

3.(Intezar Ahmed) Forest Department, Choharpur Range

4.(Bachan Singh) In-charge Horticulture Officer, Vikas Nagar

5.(Ashok Joshi) Assistant Engineer, Agriculture Produce Market Committee, Vikas Nagar, Dehradun

6.(Shobhit Badwal) Junior Engineer

7.(Rahul Kumar) Junior Engineer

8. (P.S. Rauthan) Senior Inspector, Office In-charge Horticulture Flying Squad Center, Vikas Nagar

Office of the Chief Horticultural Officer, Dehradun

Letter No. 100/D.P./2024-25/dated 18/10/2024

To,

Chief Horticultural Officer,

Dehradun

Sir,

Regarding your office letter no. 2560/B.U./2024-25 dated 19.9.2024, the joint inspection report related to the aforementioned subject is enclosed for necessary action.

Yours faithfully,

(Signatures of Concerned Officer)

(Name and Designation)

Chief Horticultural Officer, Dehradun

ANNEXURE R/5

ई–मेलः vikashnagar.mandi@gmail.com

कार्यालय

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर

नवीन मण्डी स्थल, विकासनगर, (देहरादून)

पत्रांक : कृ0उ0म0स0 / 2025–26 / 481 दिनांक : 10 / 12 / 2025

सेवा में,

उपजिलाधिकारी

विकासनगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ0ए0 संख्या 54 / 2025 "युद्धवीर सिंह चौहान बनाम वन विभाग उत्तराखण्ड एवं अन्य" के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्तानुसार दायर वाद के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है–

1. मा0 कृषि मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में इस समिति की बैठक संख्या 24 दिनांक 29.10.2021 में गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या 04 (संलग्नक–1) पारित किया गया एवं समिति पत्रांक 74 दिनांक 19.05.2022 (संलग्नक–2) द्वारा कृषक हित में कोल्ड स्टोर के निर्माण हेतु प्रस्ताव किया गया।
2. प्रस्तावित गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज निर्माण कार्यों की स्वीकृति उपरांत उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर के निर्माण खण्ड, देहरादून द्वारा मण्डी परिसर में कोल्ड स्टोरेज एवं गोदामों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण हो चुका है।
3. कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर निर्माण कार्य में अवरूद्ध 18 वृक्षों की पातन स्वीकृति मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 3294 दिनांक 19.11.2024 (संलग्नक–3) द्वारा प्रदान की गयी।
4. तदोपरांत प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 1767 / 9–1 कालसी, दिनांक 27.11.2024 (संलग्नक–4) द्वारा वृक्षों का मूल्यांकन एवं निदेशालय, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) के कार्यालय पत्रांक 1946 दिनांक 07.12.2024 (संलग्नक–5) द्वारा वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
5. वृक्षों के नीलामी हेतु आपके समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करने पर आपके द्वारा नीलामी हेतु दिनांक 31.12.2024 निर्धारित करते हुए 02 दैनिक समाचार पत्रों में नीलामी सूचना प्रकाशित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
6. इस समिति द्वारा समाचार पत्रों में नीलामी सूचना (संलग्नक–6) प्रकाशित कराते हुए मण्डी परिसर में खडे 18 वृक्षों की खुली बोली द्वारा नीलामी की गयी।

7. नीलामी प्रकिया के अनुमोदन एवं वृक्षों का नीलाम छोडने की स्वीकृति हेतु पत्रावली आपके समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आपके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

यह भी संज्ञान में लाना है कि समिति द्वारा कृषक/जनहित में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव किये जाते हैं एवं उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर द्वारा प्रदत्त स्वीकृति उपरांत निर्माण खण्ड, द्वारा निर्माण कार्य कराये जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज एवं गोदामों का निर्माण कार्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो कि लगभग पूर्ण होने को है। उक्तानुसार सूचना आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः– उक्तानुसार।

भवदीय

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

संलग्नक - 1 (1)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर (देहरादून)

बैठक संख्या :– 24 दिनॉक : 29/10/2021

आज दिनांक 29/10/2021 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय सभागार में मण्डी समिति की एक बैठक मा0 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही–

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल कुमार जैन, मा0 अध्यक्ष।
2. श्री प्रदीप ठाकुर, मा0 उपाध्यक्ष।
3. श्री राजबीर सिंह, सचिव/सदस्य।

प्रस्ताव संख्या 01– मण्डी समिति की माह सितम्बर, 2021 तक के आय–व्यय का अनुमोदन।	सचिव द्वारा माह सितम्बर, 2021 तक की आय–व्यय का ब्यौरा पटल पर रखा गया एवं पढ कर सुनाया गया। सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
प्रस्ताव संख्या 02– माह सितम्बर, 2021 तक जारी/नवीकृत लाइसेंसों का अनुमोदन विषयक प्रस्ताव।	सचिव द्वारा कृषि वर्ष 2021–22 के लिए माह सितम्बर, 2021 तक जारी/नवीकृत लाइसेंसों का विवरण सदन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
प्रस्ताव संख्या 03– नवीन मण्डी स्थल में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फल–सब्जी की स श्रेणी की दुकानों के निर्माण विषयक प्रस्ताव।	सचिव द्वारा मण्डी समिति के दुकान विहीन लाइसेंसी व्यापारियों की सूची पटल पर रखते हुए अवगत कराया गया कि मण्डी के 151 दुकान विहीन लाइसेंसी हैं। जिनमें से कुछ व्यापारियों द्वारा स्ववित्त योजना के अन्तर्गत दुकानों का निर्माण कर उपलब्ध कराने हेतु मौखिक रूप से अनुरोध किया जा रहा है। मण्डी की आर्थिक स्थिति खराब है। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण उपरांत व्यापारियों को आवंटन करने से उन्हें अपने कारोबार हेतु स्थान उपलब्ध होगा। जिससे किसानों को भी लाभ होगा एवं मण्डी शुल्क के रूप में मण्डी समिति की आय में वृद्धि भी सम्भावित है। उक्त के दृष्टिगत विचार–विमर्श उपरांत किसानों एवं मण्डी हित में नवीन मण्डी स्थल में दुकान संख्या स 51 से 74 तक के सामने फल–सब्जी की स श्रेणी की 20 दुकानें स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रस्ताव संख्या 04– मण्डी परिसर में किसान भवन एवं गोदाम निर्माण विषयक	मा0 कृषि मंत्री, श्री सुबोध उनियाल जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2021 को मण्डी भ्रमण कार्यक्रम में मण्डी परिसर

प्रस्ताव।	विकासनगर में किसानों की सुविधा हेतु किसान भवन एवं गोदाम निर्माण करवाने की घोषणा की गयी। किसान भवन के निर्माण से कृषकों को विश्राम हेतु जगह मिल सकेगी एवं गोदाम के निर्माण से किराये की रूप में समिति की आय में वृद्धि होगी। किसान एवं मण्डी हित में किसान भवन एवं गोदाम निर्माण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रस्ताव संख्या 05– मण्डी परिसर में निर्मित दुकानों की मरम्मत विषयक प्रस्ताव।	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 18.10.2021 को मण्डी के व्यापारियों की एक बैठक ली गयी। जिसमें व्यापारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनको आवंटित दुकानें जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। दुकानों से पानी टपक रहा है, जिससे उनमें रखा कृषि उत्पाद खराब हो रहा है। दुकानों की मरम्मत करायी जानी अति आवश्यक है। परंतु मण्डी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है। जिस पर उपस्थित व्यापारियों द्वारा स्वयं के व्यय पर अपनी दुकानों की मरम्मत कराने हेतु सहमति दी गयी। मण्डी की आर्थिक स्थिति एवं व्यापारियों के हितों के दृष्टिगत व्यापारियों द्वारा आवंटित दुकानों की मरम्मत स्वयं के व्यय पर कराये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर समिति स्तर से अनुमति देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रस्ताव संख्या 06– मण्डी परिसर की सडक निर्माण विषयक प्रस्ताव।	अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन मण्डी स्थल की मुख्य सडक में जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं, जिससे कृषकों को अपनी कृषि उपज मण्डी में लाने एवं केता को उपज ले जाने में काफी परेशानी उत्पन्न हो रही है। सडक का निर्माण किया जाना कृषक, व्यापारी एवं मण्डी हित में है। परंतु मण्डी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सडक का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। सडक निर्माण की आवश्यकता के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग से नवीन स्थल की मुख्य सडक का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रस्ताव संख्या 07– मण्डी परिसर की नालियों की मरम्मत विषयक प्रस्ताव।	सदस्य/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मण्डी परिसर में पानी की निकासी हेतु बनायी गयी नालियों का ढलान कम होने एवं नालियां जगह–जगह से टूट जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है जिससे मण्डी परिसर का पानी आम के बगीचे में भर

	जाता है। जिससे मण्डी में गंदगी एवं दुर्गन्ध फैलती है। उक्त समस्या के समाधान हेतु मण्डी के व्यापारियों द्वारा भी बार–बार कहा जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत नालियों की मरम्मत एवं ढलान का कार्य करवाने के साथ ही नालियों को नगर पालिका के नाले में मिलाये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

अध्यक्ष
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

20 467

सलंग्नक-2

दूरभाष : 01360-250880
ई-मेल:vikash-agrmdi-ua@nic.in

कार्यालय
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर
नवीन मण्डी स्थल, विकासनगर, (देहरादून)

पत्रांकः कृ०उ०म०स० / 2022-23 / 75 दिनांक : 17 / 05 / 2022

सेवा में,

प्रवन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन वोर्ड
रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)।

महोदया,

मण्डी समिति विकासनगर मुख्यतः फल-सब्जी की मण्डी है। जिसमें पछवादून के काश्तकारों के साथ-साथ चकराता, हिमाचल, टिहरी एवं उत्तरकाशी की यमुना वैली के काश्तकार अपनी फल / सब्जी को बेचने के लिये आते हैं। मण्डी में अधिक मात्रा में फल / सब्जी आने पर जो फल / सब्जी विकी हेतु शेष रह जाते हैं, वे खराब हो जाते हैं। जिससे कृषकों, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ मण्डी को भी आर्थिक नुकसान होता है। कृषकों के फल / सब्जी को खराव होने से वचाने हेतु मण्डी परिसर में कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाना आवश्यक है। कोल्ड स्टोर के निर्माण से एक ओर तो कृषकों के फल / सब्जी को खराव होने से बचाया जा सकेगा, जिससे फल / सब्जी की विकी पर उन्हें आर्थिक लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर फल / सब्जी की विकी पर मण्डी शुल्क एवं विकास सैस के रूप में मण्डी की आय में वृद्धि होगी, साथ ही कोल्ड स्टोर को किराये पर दिये जाने पर भी किराये के रूप में मण्डी की आय में वृद्धि होगी। कोल्ड स्टोर के निर्माण हेतु मण्डी परिसर में कर्मचारी आवास से लगते हुए पीछे की ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

अतः कृपया कृषक हित में उक्तानुसार कोल्ड स्टोर के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। विकासनगर मण्डी में विगत पांच वर्षों की फल-सब्जी की आवक संलग्न है।

संलग्नकः- उक्तानुसार।

भवदीय,

सचिव अध्यक्ष
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहारदून)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. महाप्रवन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)।
2. उपमहाप्रवन्धक (तकनीकी), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, देहरादून।
3. उपमहाप्रवन्धक (वि०या०), उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन वोर्ड, देहरादून।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहारदून)

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक / वृक्षपातन/2024-25/ दिनांक 19/11/2024

सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून के पत्र सं0 1075/कृ.उ.म.स./2024/दिनांक 16.11.24 एवं गठित समिति के निरीक्षण आख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृति) की अधिनियम की धारा-3 की उपधारा(III) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं	प्रजाति	प्लाट में कुल वृक्षों की संख्या	पातन वृक्षों का व्यास (वर्ग फिट में)	पातन वृक्षों की संख्या	प्रभारी की आख्या के अनुसार
1	आम	32	4-5फिट(5) आम 3-4फिट(2) आम 7-8फिट(2) आम 4-5फिट(1) आम 3-4फिट(1) आम 4-5फिट(3) आम 3-4फिट(2) आम 6-7फिट(1) आम 2-3फिट(1) आम	18आम	खतोनी/ खसरा- 139 में 18 आम वृक्ष जो रास्ते को अवरूद्ध एवं जीर्ण शीर्ण होने के कारण पातन की संस्तुति के आधार पर। जिसमें 09 वृक्ष चाहरदीवारी के अन्दर, 02 सड़क किनारे एवं 7 बाउण्ड्री के बाहर खड़े है।

उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है।

1. पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में उक्त वृक्षों का पातन करना होगा।
2. पत्र जारी होने की तिथि से 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाष्ठ के निकासी हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. उक्त पेड़ों का पातन सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद नही किया जायेगा।
4. उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का निरीक्षण उद्यान विभाग के किसी भी क्षेत्रीय ज्ये0उ0नि0/प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र या नामित कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
5. उक्त पेड़ों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य का किसी भी समय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृति) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिन्हित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन, प्रजाति का चयन, व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित उद्यान विभग के प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्तानुसार भू-स्वामी द्वारा वृक्षारोपण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में भू-स्वामी के व्यय पर विभागीय वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
8. उक्तानुसार पातन स्थल पर किसी प्रकार की अवैध पातन के लिए भू-स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा। तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित धाराओं में कार्यवाही अपनाई जायेगी।
9. उक्त पातन अनुज्ञा प्रभारी की संस्तुति एवं निरीक्षण उपरान्त निर्गत की गई है। उक्त वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों के उल्लघन होने की दशा में प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृति) की धारा-15 की उपधारा(1) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
देहरादून।

पत्रांक 3294 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर देहरादून।
2. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र विकासनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वृक्षों का पातन अपने सम्मुख करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी नियत की जाती है।
3. थानाध्यक्ष विकासनगर देहरादून।
4. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग कालसी जनपद देहरादून।

कोतवाली विकासनगर जनपद-देहरादून

मुख्य उद्यान अधिकारी,

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक 3665/वृ.पा./2024-25/दिनांक 18/12 2024

सेवा में,

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर देहरादून।

विषयः- मण्डी परिसर विकासनगर में आम फलदार वृक्षों के पातन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0 1120/कृ.उ.म.स.
/2024/दिनांक 9.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। संदर्भित पत्र के कम में
कार्यालय पत्र सं0 3254/दिनांक 19.11.2024 को मण्डी परिसर
विकासगर में 18 आम वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान की गई थी
किन्तु निर्धारित समय में आम वृक्षों का पातन न किये जाने के कारण एक
माह अतिरिक्त समय की मांग की गई है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपके पत्रानुसार कार्यालय पत्र सं0
3254/वृ.पा./2024-25/दिनांक 19.11.2024 द्वारा 18 आम वृक्षों की
पातन की स्वीकृति हेतु शर्त संख्या एक के अनुसार उक्त पातन अनुज्ञा पत्र
जारी होने की तिथि से एक माह अर्थात दिनांक 18.1.2025 तक वैध
होगी। उक्त तिथि के बाद अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति
क्रमांक 242
दिनांक 18/12/24
विकासनगर (दे.दून) उत्तराखंड

भवदीय

मुख्य उद्यान अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र विकासनगर।
2. थानाध्यक्ष विकासनगर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
देहरादून।

18-12-24

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1767 / 9-1 कालसी, दिनांक 27-11- 2024

सेवा में,

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
विकासनगर, देहरादून।

विषय– वृक्षों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–कृ0उ0म0स0 / 2024 / 1079, दिनांक 19.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर 32 आम के वृक्ष मौजूद हैं, जिसमें निर्माणाधीन चाहरदीवारी के भीतर 09 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज मार्ग पर 06 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के पीछे 01 वृक्ष, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर 02 कुल 18 वृक्ष अनुपयोगी हैं, जो निर्माण कार्य में अवरूद्ध हैं, जिनके पातन की अनुमति मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 3294 / वृक्षपातन / 2024–25, दिनांक 19.11.2024 से प्रदान की गई है तथा आपके द्वारा उक्त वृक्षों के पातन से पूर्व उक्त वृक्षों के मूल्यांकन हेतु अनुरोध किया गया उक्त प्रकरण की जांच वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज के पत्रांक–447 / 9, दिनांक 27.11.2024 द्वारा जांच आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, विकासनगर के परिसर में गोदाम एवं कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य में 18 आम के हरे वृक्ष बाधा उत्पन्न करे रहें हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर वृक्ष का मूल्यांकन निम्न प्रकार आंका गया है–

क्र0 सं0	प्रजाति / प्रकृति	गोलाई (मी0)	व्यास वर्ग	श्रेणी	आयतन (घ0मी0)	वृक्षों की सं0	गुणांक	दर	धनराशि
1	आम हरा खडा	1.40	4–5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
2	आम हरा खडा	1.15	3–4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
3	आम हरा खडा	1.40	4–5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
4	आम हरा खडा	1.30	4–5	F	0.890	1	2/3	5742.00	3828.00
5	आम हरा खडा	1.10	3–4	U	0.460	1	1/3	2871.00	957.00
6	आम हरा खडा	1.45	4–5	U	0.890	3	1/3	5742.00	5742.00
7	आम हरा खडा	1.20	3–4	U	0.460	2	1/3	2871.00	1914.00
8	आम हरा खडा	1.90	6–7	U	2.190	1	1/3	14467.00	4822.00
9	आम हरा खडा	1.10	3–4	F	0.460	1	2/3	2871.00	1914.00
10	आम हरा खडा	2.25	7–8	U	3.040	1	1/3	21632.00	7210.00
11	आम हरा खडा	2.20	6–7	F	2.190	1	2/3	14467.00	9645.00
12	आम हरा खडा	0.85	2–3	U	0.140	1	1/3	675.00	225.00
					कुल योग	18	वृक्ष		47741.00

उक्त वृक्षों की निकासी हेतु पृथक से उच्चतम बोलीदाता को ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

श्रीमती रेनु बर्थ्वाल (हस्तलिखित) 28/11/24

प्रतिलिपि : उप–प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन क्षेत्राधिकारी, चौहड़पुर रेंज को उनके पत्र संख्या–447 / 9 दिनांक 27.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

संलग्नक-5

फोन– 05944 – 250057 फैक्स – 250059
वेबसाइट: http://www.uamandi.org

निदेशालय
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड,
मण्डी भवन, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

पत्रांकः उ0कृ0उ0वि0बो0 / विकासनगर / 2024– 1946 दिनांकः 07/12/2024

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
विकासनगर।

विषय– मण्डी समिति, विकासनगर परिसर में स्थित वृक्षों को कटवाने विषयक।

उपरोक्त विषयक समिति पत्रांक कृ0उ0म0स0 / 2024–25–1807 दिनांक 28.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय पत्रांक 91 दिनांक 27.11.2024 में मूल्यांकन / पातन की सशर्त रिपोर्ट संलग्न करते हुये वृक्षों को पातन / नीलाम किये जाने की विभागीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अतः मण्डी स्थल, विकासनगर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर खडे 18 आम के वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती हैं कि उक्त वृक्षों को कटवाने / नीलामी किये जाने एवं परिवहन इत्यादि हेतु प्रचलित सभी सुसंगत अधिनियम एवं नियमावलियों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का समुचित रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्राप्तांक 2334
दिनांक 07/12/24

(निर्मला बिष्ट)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–
1–प्रबन्ध निदेशक, महोदय उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रूद्रपुर को सूचनार्थ।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई वन प्रभाग, कालसी।
3– उप महाप्रबन्धक(वि0 / यॉ0)उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, देहरादून।

श्रीमती रेणु बडोनि व0सहा0
07/12/24

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

संलग्नक - 6

कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर, देहरादून

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नवीन मण्डी स्थल विकासनगर के परिसर में खडे 18 आम के वृक्षों की खुली बोली द्वारा नीलामी उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, मण्डी समिति विकासनगर के समक्ष दिनांक 31/12/2024 को प्रातः 12.00 बजे से प्रारम्भ की जानी है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म नीलामी में निर्धारित शर्तो के अधीन प्रतिभाग कर सकते हैं एवं जमानत धनराशि प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक समिति कार्यालय में जमा करा सकते हैं। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में समिति कार्यालय/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।

(अशोक कुमार जोशी)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

(विनोद कुमार)
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति विकासनगर (देहरादून)

पत्रांकः कृ0उ0म0स0/निविदा/2024/1127 दिनांकः 20/12/2024

प्रतिलिपि :– 1. सम्पादक, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण, समाचार पत्र को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को न्यूनतम साईज के कॉलम में शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल सचिव मण्डी समिति विकासनगर (देहरादून) के नाम से प्रेषित करें।

2. कार्यालय मण्डी समिति विकासनगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

3. तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

Amar Ujala 20/12/2024

टिप्पणी एवं आदेश

सचिव/अध्यक्ष महोदय,

अवगत कराना है कि मण्डी परिसर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर आम के वृक्षों के पातन हेतु मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 2560 दिनांक 19.09.2024 द्वारा गठित समिति द्वारा मण्डी परिसर में स्थित आम बाग का दिनांक 04.10.2024 को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण आख्या में निर्माण हेतु चयनित भूमि में अवरूद्ध वृक्षों के पातन हेतु संस्तुति की गयी। चयनित भूमि पर आम के 32 वृक्ष मौजूद हैं, जिसमें निर्माणाधीन चाहरदीवारी के भीतर 09, कोल्ड स्टोरेज यूटिलिटि के मार्ग पर 06, कोल्ड स्टोरेज के पीछे वाह्य यूनिट की जगह पर 01 एवं कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर 02 वृक्ष, कुल 18 वृक्षों के पातन हेतु प्रथम चरण में अनुमति मांगी गयी। मुख्य उद्यान अधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 3294 दिनांक 19.11.2024 व पत्रांक 3665 दिनांक 18.12.2024 द्वारा वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान कर दी गयी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, कालसी द्वारा उक्त 18 वृक्षों का मूल्यांकन रू 47,741.00 निर्धारित किया गया। मण्डी निदेशालय के पत्रांक 1946 दिनांक 07.12.2024 द्वारा भी कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु चयनित भूमि पर खडे 18 आम के वृक्षों को कटवाने/नीलामी किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि उक्त वृक्षों कटवाने/नीलामी किये जाने एवं परिवहन इत्यादि हेतु प्रचलित सभी सुसंगत अधिनियम एवं नियमावलियों एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का समुचित रूप से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्तानुसार प्रदत्त अनुमति उपरान्त उक्त 18 वृक्षों की खुली बोली द्वारा नीलामी की जानी है। नीलामी हेतु 02 दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन कराया जाना अति आवश्यक है। नीलामी की अनुमति की दशा में नीलामी की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये नीलामी सूचना प्रकाशन की अनुमति प्रदान करना चाहें।

19/12/24
व०सहा०

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

SDM
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

( )

टिप्पणी एवं आदेश

अध्यक्ष महोदय,

आपके द्वारा प्रदत्त स्वीकृति उपरांत मण्डी परिसर में खड़े 18 वृक्षों की खुली बोली द्वारा दिनांक 31.12.2024 को नीलामी हेतु समिति पत्रांक 1127 दिनांक 20.12.2024 द्वारा दो दैनिक समाचार पत्रों में नीलामी सूचना प्रकाशित करवाते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। दिनांक 31.12.2024 को इच्छुक 14 बोलीदाताओं द्वारा जमानत धनराशि के बैंक ड्राफ्ट एवं पैन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जमा कराये गये। तदोपरांत समस्त बोलीदाताओं को नीलामी की शर्ते बतायी गयी एवं नीलामी हेतु बोली प्रारम्भ की गयी। वृक्षों का मूल्यांकन रू0 47,741.00 था। प्रथम बोली रू0 48,000.00 एवं तृतीय राउण्ड की सर्वाधिक बोली रू0 48,800.00, श्री संदीप कुमार की रही। नीलामी प्रकिया के समय समिति में कार्यरत श्रीमती रेणु बडोनी, वरिष्ठ सहायक, श्री कौशल किशोर कम्प्यूटर ऑपरेटर, श्री प्रीतम डिमरी, श्री अल्केश कुमार, श्री राय सिंह मण्डी निरीक्षक, श्री अमित सहगल लेखाकार एवं श्री राजबीर सिंह, मण्डी पर्यवेक्षक, श्री अशोक कुमार जोशी, सचिव उपस्थित रहे। श्री संदीप कुमार की बोली सर्वाधिक होने के कारण वृक्षों का नीलाम इनके नाम छोडा जाना है।

अतः उक्तानुसार नीलामी प्रकिया का अनुमोदन एवं श्री संदीप कुमार के नाम वृक्षों का नीलाम छोडने की स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

व0सहा0 लेखाकार म0प0

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)

अध्यक्ष
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
विकासनगर (देहरादून)